अधिकारी आधे समय फील्ड में लोगों के बीच रहकर समस्याएं सुनें : कलेक्टर

बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने प्रकरणों की सुनवाई की।

- जिला स्तरीय जनसुनवाई में 91 प्रकरण आए
- मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि जब लोग बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर परेशानी में हो तो प्रशासन आराम से नहीं रहना चाहिए
- पानी, बिजली और चिकित्सा की बैठकें रूटीन में ना करके प्रभावी ढंग से करें

बीकानेर, (कासं)। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि यह समय अधिकारियों के लिए संवेदनशील होकर कार्य करने का है। अधिकारीगण आधा समय फील्ड में और आधा समय कार्यालय में रहें। मैसेज ये जाना चाहिए कि 45-48 डिग्री तापमान में भी राजस्थान के अधिकारी फील्ड में लोगों के बीच में हैं और उनकी समस्याओं को फील्ड में रहकर महसूस कर रहे हैं और उनका निस्तारण भी करवा रहे हैं।

मुख्य सचिव सुधांश पंत गुरूवार को राज्य भर में चल रही जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जयपुर सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब लोग बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर परेशानी में हो तो प्रशासन आराम से नहीं रहना चाहिए। पानी, बिजली और चिकित्सा की बैठकें रूटीन में ना करके प्रभावी ढंग से करें। पंत ने कहा कि पानी, बिजली और चिकित्सा को लेकर बैठकें रूटीन में नहीं करके प्रभावी ढंग से करनी है और डिस्पोजल भी प्रभावी ढंग से ही करना है ताकि भीषण गर्मी में हम लोगों को अधिकतम राहत दे सकें।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं का डिस्पोजल टाइम पहले 46 दिन था जो कम होकर 15 दिन हो गया है। साथ ही रिलीफ सैटिस्फैक्शन भी 8 फीसदी बढ़ा है। ये आंकड़े अच्छे हो सकते हैं लेकिन हमें हकीकत में भी आमजन की परिवेदनाओं का हमेशा प्रभावी डिस्पोजल करना है। रिलीफ सैटिस्फैक्शन और रिजक्शन सैटिस्फैक्शन को बढ़ाना है। किसी की परिवेदना रिजेक्ट हुई है तो उसे संतुष्ट करना है कि क्यों रिजेक्ट की गई। उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे पर संपर्क पोर्टल के एडवांस वर्जन को लांच करने की संभावना है। इस दिन संपर्क पोर्टल पर विभिन्न कैटेगरी में अच्छा परफोर्मेंस करने वालों को सम्मानित भी किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में अधिकारीगण अनावश्यक छुट्टियों पर ना जाएं। केवल शादी, गर्मी या मेडिकल इश्यू पर ही छुट्टी लें। जिला स्तरीय अधिकारीगण जिला कलेक्टर से और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी संबंधित एसडीएम से छुट्टी लेकर ही मुख्यालय छोड़ें। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने केन्द्र और राज्य की 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है। अधिकारीगण इन फ्लैगशिप योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। संभागीय आयुक्त डॉ रवि कुमार सुरपुर ने मुख्य सचिव को बताया कि नहरबंदी को लेकर बीकानेर संभाग के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए लू, तापघात आदि को लेकर भी बैठकें ली जा चुकी है। लोगों को पानी, बिजली को लेकर कोई समस्या नहीं आने दी जायेगी। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि जनसुनवाई में अतिक्रमण, डिलिमिटेशन, अलॉटमेंट के इश्यू ज्यादा आ रहे हैं। जिनका प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले में प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है।

जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर के समक्ष कुल 91 प्रकरण आए। जिनमें से सर्वाधिक 27 राजस्व के, 20 नगर निगम के, 10 बीडीए के,08 जोधपुर डिस्कॉम के, 07 पंचायत पुनर्गठन के एवं बाकी अन्य विभागों से संबंधित थे। अधिकांश प्रकरणों का जिला कलेक्टर द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। अन्य परिवेदनाओं के निस्तारण को लेकर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान सीईओ जिला परिषद सोहन लाल, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त अपर्णा गुप्ता, एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत, एडीएम सिटी रमेश देव समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी एसडीएम और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

पेंशनर्स का सत्यापन 30 तक करवाना जरूरी

बीकानेर, (कासं)। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को 30 अप्रैल तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जिले में कुल 2 लाख 64 हजार 570 पेंशनर्स हैं। इनमें 1 लाख 87 हजार 141 वृद्धजन पेंशनर्स, 59 हजार 735 विधवा पेंशनर्स, 16 हजार 845 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 849 कृषक वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं।

पंवार ने बताया कि अब तक लगभग 86.94 प्रतिशत पेंशनर्स द्वारा अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया गया है। वहीं 34 हजार 566 पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन लम्बित हैं। पंवार ने बताया कि पेंशनर्स द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क और ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा।

अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से करवाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए विकसित एन्ड्राइड मोबाइल ऐप राजस्थान पेंशन एंड आधार फेसआरडी के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा। पंवार ने बताया कि यदि सत्यापन नहीं होता है तो पेंशनर्स को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कराना होगा।

सार-समाचार

पीबीएम में जल सेवा की शुरूआत

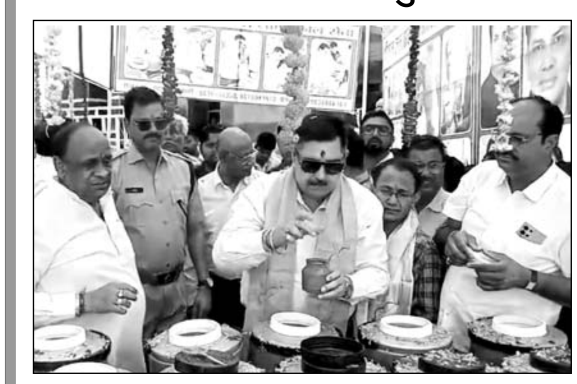

भामाशाहों के सहयोग से मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी ने पीबीएम में शीतल जल सेवा का शुभारंभ किया।

बीकानेर, (कासं)। संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में अब मरीजों-परिजनों को गर्मी में शीतल जल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें गर्मी के मौसम में छह महीने तक लगातार शीतल जल सुलभ होगा। पांच दोस्तों की ओर से चार साल पहले श्रीकृष्ण सेवा संस्थान की ओर से शुरू की गई यह सेवा अब निरंतर जारी है। यह सेवादार हर साल अप्रेल में पीबीएम में शीतल जल सेवा शुरू करते है। इस बार इसकी शुरूआत गुरुवार को की गई। पीबीएम अस्पताल के मर्दाना विंग के सामने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ गुंजन सोनी, पीबीएम अधीक्षक डॉ सुरेन्द्र वर्मा व भाजपा महामंत्री मोहन सुराणा ने इसकी शुरूआत की। श्रीकृष्ण सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्यामसुंदर सोनी,संजय कुमार लावट, भैरूराम मौसूण, बाबूलाल मांडण, मूलचंद बामलवा, मनोज डावर, कैलाश डावर, मघाराम कुमावत, विष्णु मौसूण, नर्सिंग कॉलेज के अब्दुल वाहिद आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष सोनी ने बताया कि पीबीएम में पहले दिन 352 कैम्पर रखवाए हैं। कुछ दिनों में ट्रोमा सेन्टर व कैंसर अस्पताल के आगे भी शीतल जल की व्यवस्था शुरू करवा दी जायेगी। जलसेवा में प्रतिदिन 30 से 35 सदस्य जुटे हुए हैं। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी ने कहा कि इस प्रकार की अनूठी सेवा से रोगियों व उनके परिजनों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। साथ ही गर्मी से भी राहत मिलेगी। डॉ गुंजन सोनी ने इसे अनुकरणीय कार्य बताते हुए संस्थान की सराहना की। डॉ सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि भामाशाहों के ऐसे प्रयासों से नर सेवा नारायण सेवा के भाव सार्थक हो जाते है। संस्था के महामंत्री संजय लावट बताते हैं कि जलसेवा के लिए सेवादारों में होड़ मची है। सेवा देने वालों की सूची में ऐसे लोग शामिल है जो अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर शीतल जल के कैम्पर उपलब्ध कराते हैं।

उर्स पर दरगाह कमेटी ने चादर चढ़ाई

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर शहर में कोटगेट के अन्दर स्थित हाजी सैय्यद बलवान शाह पीर बाबा की दरगाह पर सालाना 53 वें उर्स मौके पर कल शुक्रवार की देर शाम को कव्वालियों की महफिल सजेगी। उसी के साथ तीन दिवसीय उर्स का समापन हो जायेगा। दरगाह के गद्दानशीन सलीम शाह बाबा ने गुरुवार को बताया कि सालाना तीन दिवसीय उर्स बुधवार 16 अप्रैल को शुरू हुआ था पहले दिन जायरिनों ने सवा लाख दुरूदे पाक का प्रोग्राम रखा, दूसरे दिन आज 17 अप्रैल को दरगाह कमेटी व जायरिनों की तरफ से बाबा की दरगाह चादरें चढ़ाई गई। तीसरे दिन 18 अप्रैल शुक्रवार की देर शाम बाहर से आये कवाल पार्टी के द्वारा बाबा की शान में कव्वालियां पेश की जायेगी। इस उर्स में सर्वसमाज के लोग हमेशा की तरह इस बार भी बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। इस अवसर पर दरगाह कमेटी से जुड़े मुनीयाद अली शाह, बरकत अली शाह, रफीक शाह, हसन शाह, आदम शाह, आदिल शाह, लियाकत अली शाह, शाकिर हुसैन चौपदार, सदर अफरीदी पठान,आरिफ, बाबू, गुलाम अली एवं नियाज़ शाह सहित अन्य लोगों ने व्यवस्थाओं को संभाला।

सैम्पल सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 6.85 लाख का जुर्माना

- लाल मिर्च और घी व धनिया के सैम्पल निम्न मानक सब स्टैंडर्ड पाए, भुजिया मिस ब्रांड पाये जाने पर जुर्माना लगाया

बीकानेर, (कासं)। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है।

लाल मिर्च और घी के सैम्पल निम्न मानक सब स्टैंडर्ड पाए जाने, धनिया में बाह्य पदार्थ मिलने और भुजिया मिस ब्रांड पाए जाने पर एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट ने संबंधित फर्मों पर कुल 06 लाख 85 हजार का जुर्माना लगाया है। विदित है कि कुछ समय पहले ही इसी कोर्ट ने 28 मार्च को बादाम,पिस्ता और दही के सैम्पल निम्न मानक सब स्टैंडर्ड पाए जाने और सरसों का तेल मिसब्रांड पाए जाने पर संबंधित फर्मों पर कुल 13 लाख 20 हजार का जुर्माना और 11 मार्च को दूध दही और मावा के सैम्पल सब स्टैंडर्ड मिलने पर चार विभिन्न फर्मों पर 2 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया था। एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया कि रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 01 पर वेंडर टी स्टॉल नं .2 के वेंडर राजू गिरी पुत्र छोटू गिरी के यहां बीकाजी भुजिया का सैंपल लिया गया। जो मिस ब्रांड पाया गया। लिहाजा वेंडर राजू गिरी पुत्र श्री छोटू गिरी और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर संयुक्त रूप से 50 हजार रूपये का और उसकी सप्लाई देने वाली फर्म स्टेशन रोड़ मटका गली में स्थित भाटिया ट्रेडिंग कंपनी पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया गया।

एडीएम प्रशासन कुमावत ने कि इसी तरह रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 01 पर वेंडर टी स्टॉल नं .2 के वेंडर मूल सिंह पुत्र भंवर सिंह के यहां बीकाजी भुजिया का सैम्पल लिया गया जो मिस ब्रांड पाया गया। लिहाजा मूल सिंह पुत्र भंवर सिंह और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 60 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं इसको सप्लाई देने वाली फर्म गंगाशहर में नोखा रोड़ पर नए बस स्टैंड के पीछे पावर हाउस के पास स्थित गौरव फूड्स पर 2 लाख 40 हजार की शास्ति है। कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार लालगढ की रामपुरा बस्ती की गली नंबर 09 में स्थित मैसर्स हरिओम नमकीन मसाला पर धनिया पाउडर के सैंपल में बाह्य पदार्थ पाए जाने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना और लाल मिर्च पाउडर का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर इसी फर्म पर 40 हजार रूण् का जुर्माना लगाया गया है।

करंट लगने से युवक की मौत

बीकानेर, (कासं)। रायसर गांव के एक रिसोर्ट में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। घटना दो दिन पहले की है जिसकी एफआईआर बुधवार को मृतक के भाई ने नापसर थाने में दर्ज की गई है।

शिवबाड़ी में रहने वाले मोहित कुम्हार ने पुलिस को बताया कि उसका भाई आकाश कुम्हार (22) लाइट डेकोरेशन का काम करता है। इसी बीच वो नापासर थाना क्षेत्र के रायसर गांव की रोही में स्थित एक प्राइवेट रिसोर्ट में काम करने गया था। जहां काम करते वक्त 15 अप्रैल की सुबह उसे करंट लग गया। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक का शव मोर्चरी में रखा गया। जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की है। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह प्रकरण की छानबीन कर रहे हैं। डूंगरगढ़ के एक खेत में काम करते वक्त महिला को सांप ने काट लिया।

तीन जगह से 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

- घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक कार्यों में दुरूपयोग करने वालों की धरपकड़ जारी

बीकानेर,(कासं)। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडर्स के दुरूपयोग के खिलाफ ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी श्रृंखला में जिला रसद अधिकारी वीरेन्द्र सिंह चैधरी के नेतृत्व में गुरूवार को प्रवर्तन निरीक्षकों जय सिंह और राहुल गुलानी ने तीन स्थानों पर कार्रवाई की गई।

जयपुर रोड़ पर श्रीश्याम होटल एंड रेस्टोरेंट पर घरेलू गैस सिलेंडर्स का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग पाया गया। सुमेर सिंह पुत्र भूरसिंह से 4 सिलेंडर्स जब्त किए गए। जयपुर रोड पर ही करणी कृपा होटल पर भी घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग करते पाए जाने पर आरोपी शिवपाल सिंह पुत्र जेठू सिंह से 4 सिलेंडर जब्त किए गए।

रायसर ग्राम में श्रीश्याम सफारी पाइंट के पास सुरजन सिंह पुत्र जगमाल सिंह को घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग करते पाया गया जहां 6 सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं।

तीनों कार्यवाहियों में कुल 14 सिलेंडर्स जब्त किए गए और जब्त सिलेंडर्स जश्मान एचपी गैस ऐजेंसी को सुपुर्द कर सुरक्षित रखवाए गए हैं। प्रकरणों में घरेलू गैस सिलेंडर्स का दुरूपयोग एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम 2000 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए इन प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में मुकद्दमा दर्ज करवाया जाकर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय बीज परियोजना
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय

F. No. :- ()/NSP/SKRAU/NIT/2025-26/404 Date :- 16/04/2025

कृषि भूमि कास्त बाबत निविदा सूचना 03/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज परियोजना, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के यांत्रिक कृषि फार्म रोजड़ी वाया घड़साना, श्रीगंगानगर के बीज उत्पादन फार्मो को "जहाँ हैं जैसे हैं" की स्थिति में वर्ष 2025-26 (खरीफ 2025 व रबी 2025-26) के लिये कास्त बाबत वार्षिक अनुबन्ध पर देने के लिए खुली बोली आमंत्रित की जाती है। खुली बोली से सम्बधित विस्तृत जानकारी वेब साईट www.raubikaner.org, http://sppp.rajasthan.gov.in व राष्ट्रीय बीज परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। UBN : SKA2526WSOB00010 To 00013

राज.संवाद/सी/25/873 अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (बीज)

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/3851 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक : 16-04-2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री भूपेन्द्र कुमार निवासी म.न. 24 कैलाशपुरी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 1 एफ छोटी मुरब्बा नं. 56 किला नं. 14, 17 भूखण्ड संख्या एफ 03 माप 33.4 इन्टू 62.6 फीट श्रीनाथ होम्स, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 13165 दिनांक 12.01.2022 को अलका रानी पुत्री श्री नरेन्द्र सुषमा रानी पत्नी श्री श्याम लाल अरोड़ा के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती सरिता देवी द्वारा उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 20.01.2025 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का ऑनलाइन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री भूपेन्द्र कुमार निवासी म.नं. 24, कैलाशपुरी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज / फ्री लीज होल्ड पट्टे के सम्बन्ध में कोई आपति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपति / उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/1545 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

- बज्जू थानान्तर्गत एक बुजुर्ग की हत्या का मामला

बीकानेर, (कासं)। जिले के बज्जू थानान्तर्गत एक बुजुर्ग की हत्या में नामजद आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर को एक ज्ञापन देकर हत्यारों के गिरफ्तारी की मांग की है।

मृतक के पुत्र चक 3 एम.डी.एम. मोडायत निवासी उम्मेद सिंह की अगुवाई में मिले शिष्टमंडल ने एसपी को अवगत कराया कि 26 फरवरी की रात को उनके पिता ठा. गज्जू सिंह मृत अवस्था में मिले थे। जिनके मुंह व गले पर चाकू से वार के निशान भी पाये गए। जिसकी नामजद एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। परन्तु पुलिस अनुसंधान अधिकारी के द्वारा आज दिन तक किसी भी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ना ही पुलिस अधिकारी के द्वारा पावों के जूतों के निशान के आधार पर किसी भी प्रकार की खोजबीन नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं थानाधिकारी व अनुसंधान अधिकारी गिरफ्तारी को लेकर कोई संतोषजनक जबाब तक नहीं दे रहे हैं।

शिष्टमंडल का आरोप है कि नारको टेस्ट का बहाना कर बज्जू पुलिस एफ.आई.आर में अपनी निष्क्रियता दिखा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार में भय का माहौल है। प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भविष्य में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।

निबंध प्रतियोगिता

बीकानेर, (कासं)। राजस्थानी साफा-पाग, कला संस्थान एवं थार विरासत की ओर से नगर स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले आयोजनों की श्रृंखला में 537 वें स्थापना दिवस पर आयोजित 7 दिवसीय उछब थरपणा के तहत समारोह के चौथे दिन निबंध प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया।

समारोह संयोजक राजेश रंगा ने बताया कि 'अलमस्त शहर बीकानेर' विषयक निबंध प्रतियोगिता सफल रही। जिसमें बीकानेर के विभिन्न पक्षों को रखते हुए जैसे पाटा संस्कृति, मनमौजी, तीज त्यौहार, इतिहास एवं स्थापत्य-कला एवं परंपरागत संस्कृति के बारे में निबंध में बहुत सुंदर चित्रण सहभागियों ने अपनी-अपनी भाषा शैली में व्यक्त किए। जिसके माध्यम से आत्म संतोषी बीकानेर शहर के आलीजापन एवं फक्कड़पन को रेखांकित किया।

चाइनीज मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री व उपयोग पर रोक

- जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

बीकानेर,(**कासं**)। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने के साथ पक्षियों के लिये बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा व चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक/टोक्सीक मैटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर के बने हों) की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग को बीकानेर जिले की क्षेत्राधिकारिता में प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है।

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार अक्षय तृतीया के पर्व पर जिले में पतंगबाजी के दौरान धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा) प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है। यह मांझा धारदार तथा विद्युत सुचालक होता है। जिसके उपयोग से दुपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को नुकसान होने की संभावना रहती है। विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को नुकसान पहुंचना तथा विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने में निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेश अनुसार यदि कोई व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझो का भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करेगा तो उसके विरूद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी।

साथ ही पक्षियों के विचरण की गतिविधियां प्रात: 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के मध्य होती है। अत: इस समय पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उलुंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत संबंधित व्यक्ति एवं व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

UIT Approved .

आवेदन शुल्क EWS-5000+900 LIG-3000+540

श्री राधे एन्क्लेव सैक्टर 1-बी
मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2015

चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 6, 15, 16 नजदीक श्री राधे एन्क्लेव, श्रीगंगानगर

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आयजन के लिए सुनहरा अवसर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 1-ए के अन्तर्गत भूखण्ड

-: आवेदन पत्र की प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का कार्यक्रम :-

ऑफलाईन आवेदन पत्र उपलब्ध..............17.04.2025
ऑफलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम अवधि 28.04.2025

1. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थायी सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
2. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
3. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
4. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

दिनांक 30.04.2025 को स्थान श्री राधे एन्क्लेव में ही सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

आवेदन प्राप्ति स्थान : श्री राधे एन्क्लेव, नजदीक मौसम विभाग, श्रीगंगानगर
सम्पर्क सूत्र : राहुल मित्तल, श्री राधे एन्क्लेव, श्रीगंगानगर, 80059-51858

आवेदन पत्र ऑफलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे। आवेदक की अधिकतम आय सीमा EWS भूखण्ड 03 लाख रूपये व LIG भूखण्ड 06 लाख रूपये होनी आवश्यक है। आवेदन पत्र की कीमत आवेदन पत्र के साथ ही जमा करवानी होगी।

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट का विरोध

बीकानेर में इनकम टैक्स ऑफिस के आगे कांग्रेसजनों ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया।

बीकानेर, (कासं)। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं के नाम शामिल करने का विरोध बीकानेर में भी देखने को मिल रहा है।

जिला कांग्रेस कमेटी शहर व देहात के संयुक्त तत्वावधान में गुरूवार को स्थानीय आयकर विभाग कार्यालय रानी बाजार मुख्य द्वार के आगे प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया तथा केन्द्र सरकार के विरूद्ध जमकर नारेबाजी की। जिला प्रभारी व विधायक शिमला नायक ने उपस्थित प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार राहुल गांधी की सच्चाई से घबरा गई है तथा उनकी आवाज ईडी के जरिए और सत्ता के दुरूपयोग से दबाना चाहती है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि देश के करोड़ों कांग्रेसजन उनके साथ खड़े हैं। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने द्वेष भावना से कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की है। भाजपा सरकार तानाशाही अपनाते हुए हमारे नेताओं पर जोर जबरदस्ती करते हुए ईडी का दुरूपयोग कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। लेकिन हम देशभर के कांग्रेसजन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पूर्ण रूप से साथ हैं। देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने कहा कि राहुल गांधी मोदी सरकार के झूठ के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर तानाशाही की सच्चाई बयान कर रहे हैं। आम लोगों की, लोकतंत्र की, बेरोजगार युवाओं की, गरीबों की, छोटे व्यापारियों की, मजदूर की, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं ।

राजस्थान सरकार
कार्यालय:खनि.अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर
खनन पट्टों नामान्तरण बाबत विज्ञप्ति

क्रमांक:खअ/बीका/एमएल36/2013/2020-2021

सर्व साधारण को सूचितकिया जाता है कि इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्वीकृत खननपट्टा संख्या 10/1993 मैसर्स प्रेमलता गुप्ता पत्नि स्व.श्री वेदप्रकाश गुप्ता खनिज बॉलक्ले, फायरक्ले, रेड व यलो ऑकर निकट ग्राम इंदों का बाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर के खननपट्टाधारी श्रीमति प्रेमलता गुप्ता की मृत्यु दिनांक 10.03.2025 को हो चुकी है। खनन पट्टाधारी के वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर विषयांकित खनन पट्टो का नामान्तरण करने का निवेदन किया गया उक्त खनन पट्टे के नामान्तरण के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मय दस्तावेज इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 15दिवस में अपनी आपत्ति इस कार्यालय में दर्ज कराये, बाद अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी व नामान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

क्र. सं.	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्र	खनिज	मृतक खनन पट्टाधारी जिसके नाम से खनन पट्टा धृत है	मृत्यु की दिनांक	मृतक के वारिसानों के नाम एवं मृतक से संबंध		वारिस नामे द्वारा सहमति उत्तराधिकारी का नाम जिसके पक्ष में नामान्तरण प्रस्तावित है।		वि.वि.
						नाम	मृतक से संबंध	नाम	मृतक से संबंध	
1.	10/1993	निकट ग्राम इंदो का बाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर	बॉलक्ले फायर क्ले रेड व.यलो ऑकर	श्रीमति प्रेमलता गुप्ता पत्नि स्व. श्री वेदप्रकाश गुप्ता	10.03 2025	श्रीअजय कुमार गुप्ता	पुत्र	श्री अजय कुमार गुप्ता	पुत्र	
						श्रीकुंज बिहारी गुप्ता	पुत्र			
						श्रीमती मंजु मित्तल पत्नी				
						श्रीमती मंजु मित्तल पत्नी श्री एम.एल मित्तल	पुत्री			